**अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी**
**कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी**

व इजलास – श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस)

भंवर कंवर आदि **बनाम** **मदनसिंह आदि**

**वाद घोषणार्थ ,विभाजन, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**मुकदमा नं0 351/2016**

**निर्णय दिनांक 13.7.2017**

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में पेश हुई। वकलाय उपस्थित। वकलाय को सुना गया। वकलाय ने वादपत्र में अंकित भूमि का वादीयागण की घोषणा के पश्चात वादियागण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विविधत विभाजन किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादियागण ने वादपत्र के जरिये अनुतोष चाहा है कि ग्राम इन्द्रपुरा के भूमि खसरा नम्बर 133, 134, 135 किता 3 कुल रकबा 5.84 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 114 व 115 हैं, के हिस्सा 1/2 में से प्रत्येक वादियागण को हिस्सा 1/8, 1/8 का खातेदार घोषित किया जाकर विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा वकील वादियागण को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2024 ग्राम इन्द्रपुरा के अनुसार वादियागण के पति/पिता श्री प्रतापसिंह के नाम गत भूमि खसरा नम्बर 114, 115 में हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल ग्राम इन्द्रपुरा के अनुसार गत खसरा नम्बरान से वर्तमान खसरा नम्बर 133, 134, 135 किता 3 कुल रकबा 5.84 है0 बनना साबित है। प्रतापसिंह की मृत्यु हो चुकी है। इनकी मृत्यु के पश्चात भरे गये विरासतन नामान्तरकरण में स्व0 प्रतापसिंह की जायन्दा पुत्रियों एवं पत्नि का नाम दर्ज नहीं किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैत्रिक भूमि में स्व0 प्रताप सिंह के जायज वारिसान का हक हिस्सा बनता है! उक्त वर्णित भूमि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार पैत्रिक भूमि साबित है। उक्त विवेचन से वादीयागण स्व0 प्रतापसिंह के हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner

1/2 में से वादियागण अपने हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है।

## आदेश

वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम इन्द्रपुरा के भूमि खसरा नम्बर 133, 134, 135 किता 3 कुल रकबा 5.84 है0 में से स्व0 प्रतापसिंह का हिस्सा 1/2 में से वादिया संख्या 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को संयुक्त रूप से हिस्सा 7/8 का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान का शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 13.7.2017 को कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner